आज दिनाँक 28.11.2020 को अन्तरिम समिति की एक बैठक मा0 न्यायमूर्ति अरुण टण्डन(से.नि.) की अध्यक्षता में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के मुख्यालय पर 10.30 बजे सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :–

प्रस्ताव संख्या–1

मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की नियमावली बनने के काफी समय बाद नेशनल पी0जी0 कालेज (जो कि अब आटोनामस कालेज हो गया है) की गर्वनिंग बाडी के गठन हेतु University grants Commission (Conferment of Autonomous Status Upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges) Regulations, 2018 आ गया है जिसके तहत सोसाइटी का अध्यक्ष नेशनल पी0जी0 कालेज की गर्वनिंग बाडी का अध्यक्ष होगा तथा 5 सदस्यों को समिति द्वारा चयनित कर भेजा जायेगा।

प्रस्ताव संख्या–2

नेशनल इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति के गठन हेतु इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट में किये गये परिवर्तनों तथा नई स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लागू होने के कारण विद्यालय की प्रबन्ध समिति के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष तथा 7–सदस्यों को समिति द्वारा चयनित करके भेजा जायेगा।

प्रस्ताव संख्या–3

बाल विद्या मन्दिर सी0से0 स्कूल की प्रबन्ध समिति के लिए सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी नोटिफिकेशन 2016 द्वारा प्रबन्ध समिति के लिए अध्यक्ष, प्रबन्धक तथा 5 सदस्यों का निर्वाचन समिति से किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त 3 विद्यालयों की गर्वनिंग बाडी/प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की नियमावली में कोई प्राविधान न होने के कारण अन्तरिम समिति ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त पदों तथा सदस्यों के स्थानों के लिए साधारण सभा से चुनाव करा लिया जाय। जिसके सम्बन्ध में सूचना 8 नवम्बर, 2020 को ही साधारण

सभा के सदस्यों को दे दी गयी थी तथा मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी एवं बाल विद्या मन्दिर सी0से0 स्कूल की वेबसाइड पर भी अपलोड कर दिया गया था।

(मा0 अरुण टण्डन)
न्यायमूर्ति(से.नि.)
अध्यक्ष, अन्तरिम समिति

(वीरेन्द्र चौबे)
उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा(से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति

(मुरलीधर राय)
विशेष कार्याधिकारी (से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति

(वी0के0 माथुर)
सीनियर आडिटर(से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति